Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 11:44:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

7/107 रकबा 2 बीघा कृषि भूमि व प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नम्बर 7/107/1 रकबा 2 बीघा कृषि भूमि ग्राम मलारना डूंगर बी में स्थित है। प्रार्थी अपनी दारी आराजी खसरा नम्बर 1667/107 हेतू रास्ता अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 7/107/1 में से होकर चाहा गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(2) न्यायालय खण्ड अधिकारी मलारना डूंगर द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर लांट ने न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की है।

अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई। अपील में संक्षिप्त तथ्य प्रकार है कि अपीलार्थी का आराजी खसरा नम्बर 1667/107 रकबा 2 बीघा भूमि पर ने जाने का एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 1667/107/1 में होकर है इसी रास्ते को र्थी द्वारा बंद कर दिया जिसे अपीलार्थी द्वारा खुलासा करने के लिए प्रार्थना पत्र लगाया था। मातहत अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपीलार्थी ने नकल जमाबंदी वत् 2050 से 2053 खाता बजरंगा पुत्र जगन माली खाता श्योजी शंकर माली नकल नक्शा प्रस्तुत किए है तथा 21.06.2018 को भू अभिलेख निरीक्षक मलारना डूंगर ने अपनी रिपोर्ट तुत की है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर द्वारा कानूनी प्रावधानों के रीत जाकर अपनी मनमर्जी से निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार ाई जाकर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर के मुकदमा नंबर 1/2016 में दिनांक 24.12.2019 को पारित निर्णय अपास्त फरमाया जावें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट्स् को जरिये सम्मन तलब किया या। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए, अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस नी गई।

सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस रते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की स्तदुआ की गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। र्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि वाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 11:44:44 IST
Reason: SelfAttested

न प्राधिकारी
ाधोपुर

Scanned with CamScanner

हस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 1667/107 रकबा 2 बीघा व प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 7/107/1 रकबा 2 बीघा ग्राम मलारना डूंगर बी में स्थित है। खसरा नम्बर 7/107/1 रास्ते पर है व इसके बाद खसरा नम्बर 1667/107 है जो प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1667/107 मे जाने के रास्ता खसरा नम्बर 1667/107/1 में से होकर रहा इसके अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में होकर जाने का नही है। गण को अपनी भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि में होकर रास्ता दिया आवश्यक है। जो कि खसरा नम्बर 1667/107/1 में से नियमानुसार दिया जावें। हत अदालत ने पत्रावली में मौजूद तथ्यों एवं साक्ष्य सबूतो को नजर अन्दाज करते हुए ती मनमर्जी से निर्णय पारित किया है, जबकि अपीलार्थी का आराजी नम्बर 1667/107/1 अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है जिसे खुलासा करवाया जाना न्यायिक मंशा के रूप है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत के निर्णय को अपास्त फरमाया वें।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रिकॉर्ड अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि वादी व प्रतिवादीगण संवत् 2050—53 वाके ग्राम रना डूंगर बी के खातेदार कृषक है। रिपोर्ट भू—अभिलेख निरीक्षक दिनांक 21.06.18 के लोकन से यह प्रकट है कि रेस्पो0 संख्या 01 की आराजी के दक्षिण मेड़ पर होकर रास्ता पूर्व से ही चालू है। जिसे अपीलांट आमदरफत करता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी की ील मीमो का मुख्य अनुतोष यह है कि अपीलार्थी का रास्ता जो खसरा नम्बर 57/107/1 में होकर निकला है, उसे खुलासा किया जावें। अपील मीमो के पैरा नम्बर 7 भी यही अंकन किया गया है। अपील मीमो के अनुतोष के आधार पर प्रकरण राजस्थान श्तकारी अधिनियम, धारा 251 का बनना पाया जाता है। जिसकी कार्यवाही संबंधित सीलदार के क्षेत्राधिकार में है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण रिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो, नम्बर से कम हो। र्णय आज दिनांक 29.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
29.11.22
राजस्व अपील अधिकारी,
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 11:44:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner